

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, २०२१

विनियोग अधिनियमों का निरसन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, २०२१ है.

संक्षिप्त नाम.

२. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कालम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है.

विनियोग
अधिनियमों का
निरसन.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा;

व्यावृत्ति.

और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमितियों का निरसन संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच पर या किसी प्राधिकारी द्वारा उसके संबंध में की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्यवाई इस प्रकार की जा सकेगी और, या जारी रखी जा सकेगी मानो कि उक्त अधिनियमितियों को इस अधिनियम द्वारा निरसित ही नहीं किया गया हो.

अनुसूची

(धारा २ देखिए)

निरसन

वर्ष (१)	क्रमांक (२)	संक्षिप्त नाम (३)	निरसन की सीमा (४)
१९५७	९	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९५७	संपूर्ण
१९५७	१७	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, (क्र. २), १९५७	संपूर्ण
१९५७	२०	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, (क्र. ३), १९५७	संपूर्ण
१९५८	८	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९५८	संपूर्ण

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार अनावश्यक विधियों के निरसन के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश के विधि आयोग ने भी अप्रचलित विधियों के तत्काल निरसन को आवश्यक बताया है तथा मध्यप्रदेश विनियोग (निरसन) विधेयक, २०२१ की अनुसूची में १३१ अधिनियमितियों के निरसन की सिफारिश की है।

२. विनियोग अधिनियम विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए अस्तित्व में रहते हैं।

३. राज्य सरकार ने विधि आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से भी सहमति प्राप्त कर ली है और मध्यप्रदेश विनियोग (निरसन) विधेयक, २०२१ की अनुसूची में वर्णित १३१ विनियोग अधिनियमों का निरसन किए जाने का विनिश्चय किया है।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख १५ मार्च, २०२१.

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.